भारतीय पर्यावरण समिति

यू–112, तृतीय तल, विधाता हाऊस, विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली–110092

फोन : 22046823, 22046824, 22450749 फैक्स : 22523311

ई–मेल : iesenro@vsnl.com / ebox@iesglobal.org

वेबसाईट : www.iesglobal.org

Envis Centre Website : iespanchayat.org

पंचायती राज एवम् पर्यावरण

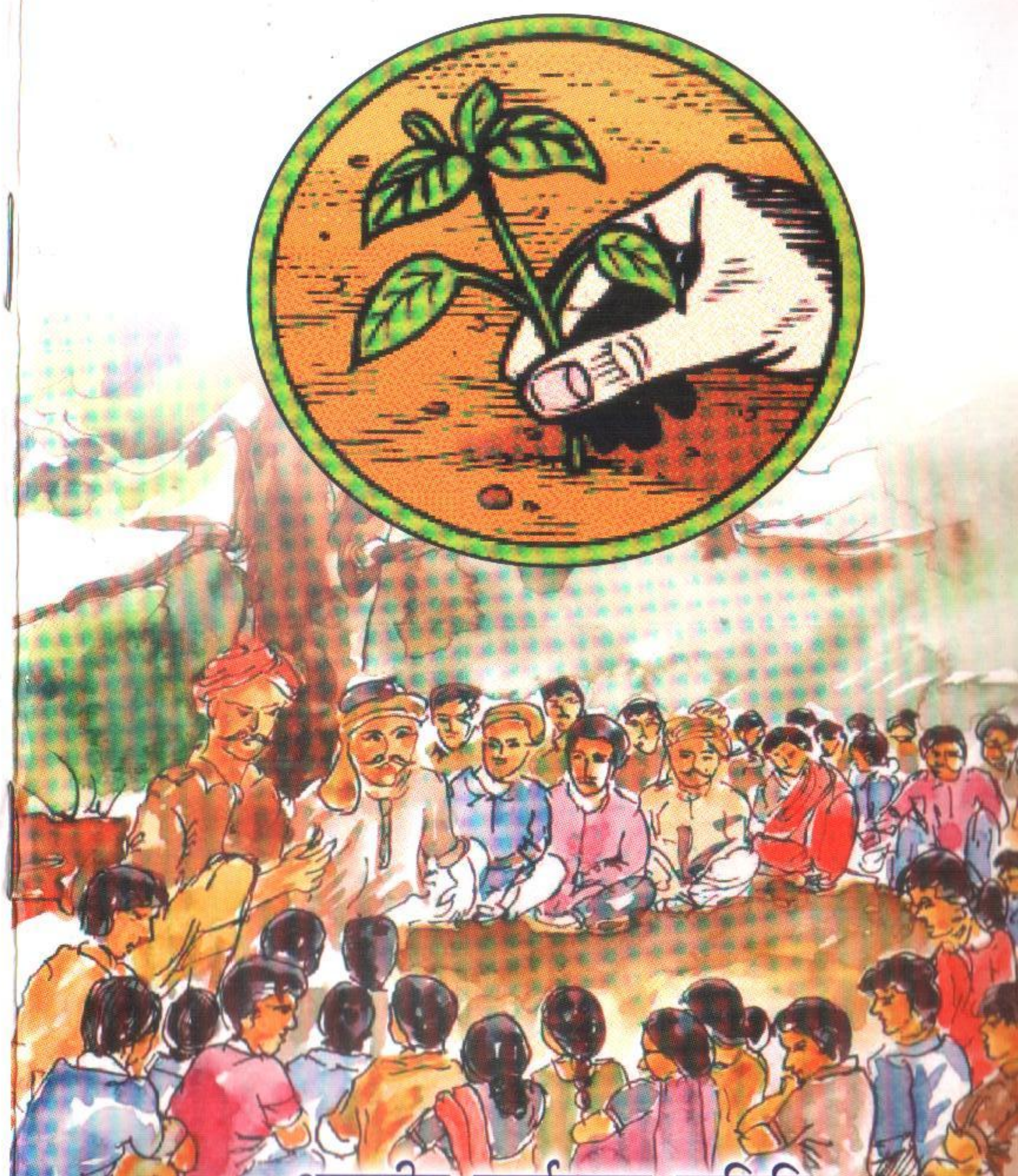

भारतीय पर्यावरण समिति

दिल्ली

पंचायती राज एवम् पर्यावरण

भारतीय पर्यावरण समिति
दिल्ली

आप इस पुस्तक का निशुल्क प्रयोग कर सकते हैं।

इस पुस्तक का प्रकाशन भारतीय पर्यावरण समिति के इनवीस सेन्टर "पंचायती राज एवम् पर्यावरण" द्वारा किया गया है

लेखिका
विपिन रानी
अनुसूया दत्ता

साभार
इनवीस सचिवालय, पर्यावरण एवम् वन मंत्रालय, नई दिल्ली

भारतीय पर्यावरण समिति
यू–112, तृतीय तल, विधाता हाऊस,
विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली–110092
फोन : 22046823, 22046824, 22450749
फैक्स : 22523311
ई–मेल : iesenro@vsnl.com
वेबसाईट : www.iesgloal.org
Envis Website : iespanchayat.org

मुद्रक
टाईम्स प्रेस
910, जटवारा स्ट्रीट, दरियागंज,
नई दिल्ली–110002
फोन : 23272237, 23285286

प्रस्तावना

'पंचायती राज' शब्द से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। 'पंचायती राज' तंत्र प्राचीन काल से ही ग्रामीण शासन का एक महत्वपूर्ण भाग रहा है। पंचायती राज अधिनियम की मूल भावना यह है कि गांवों को अपने हित से जुड़े सामाजिक आर्थिक विषयों पर खुद विचार करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए तथा लागू करना चाहिए। पंचायती राज लोकतंत्र का आधार स्तम्भ है।

स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज शासन की व्यवस्था लड़खड़ाने लगी थी। स्थानीय शासन में स्थानीय लोगों की भागीदारी को महत्व नहीं दिया जाता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए, 1992 में 73 वां पंचायती राज अधिनियम संशेधन पारित हुआ। जो कि 20 अप्रैल 1993 में लागू हुआ। इस संशोधन में पर्यावरण से संबंधित विषयों को कार्य सूचि में सम्मिलित किया गया। 'पर्यावरण' हमारे लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य है। जिस प्रकार आदि काल से पंचायत व्यवस्था अस्तित्व में है उसी प्रकार पर्यावरण का मानव जीवन से गहरा संबंध रहा है। जल, वायु, भूमि इत्यादि को केवल प्रकृति की देन समझ कर इसका अंधाधुंध प्रयोग तथा दुरुपयोग करता रहा है। इसके संरक्षण एवम् संवर्धन पर कभी भी विचार नहीं किया आज स्थिति यह है कि पर्यावरण का प्रत्येक कारक प्रदूषित हो गया है। किन्तु आज भी यह विषय कुछ बुद्धिजीवियों के विचारविमर्श तक ही केन्द्रिंत होकर रह गया है। इसी बात को ध्यान में रख कर भारतीय पर्यावरण समीति ने 'पंचायती राज' एवम् पर्यावरण के विषय को ध्यान में रखते हुए पुस्तक का निर्माण किया है।

इस पुस्तक का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विकास करने के कार्य में कार्यरत् ग्रामीण संस्था गैर-सरकारी संस्थाएं तथा पंचायतों के सदस्य सकते हैं।

इस पुस्तक को पर्यावरण एवम् वन मंत्रालय के सौजन्य से प्रकाशित किया जा रहा है। इसके लिए भारतीय पर्यावरण समीति मंत्रालय की आभारी है।

डा. देशबन्धु
अध्यक्ष
भारतीय पर्यावरण समीति

अनुक्रमिका

पंचायती राजः परिचय	1
पंचायती राजः लक्ष्य	3
पंचायती राजः अधिनियम संशोधन	5
पंचायत एवम् पर्यावरण	8
पर्यावरण संभावित क्षेत्र में पंचायती राज योगदान	11
निष्कर्ष	33

पंचायती राज : परिचय

भारत में ग्रामीण स्वायत् शासन व्यवस्था बहुत पुरानी है। ऋगवेद में कहा गया है गांव प्रशासन तथा न्याय के लिए स्वतंत्र इकाई है। रामायण काल में जनपदें पंचायत का विकसित रूप थी। बुद्ध तथा जैन काल में ये स्वायत् संस्थाएं बहुत प्रभावशाली थी। मध्ययुग में ग्राम व्यवस्था में गावों का प्रसार एवम् विस्तार शुरू हो गया। गांवों की व्यवस्था तथा न्याय प्रसार का कार्य गाव के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संभालते थे। इस प्रकार की व्यवस्था होने से राजा को कार्य करने में सुविधा होने लगी। पंचायतें अपने कानून स्वय बनाती थी तथा अपने गांव की सम्पूर्ण व्यवस्था संभालती थी। पंचायतें अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की समस्याओं के समाधान के लिए राजा के पास जाती थीं। गुप्तकाल के विदेशी यात्रियों ने पंचायतों की गांव व्यवस्था एवम् न्याय व्यवस्था के बारे में वर्णन किया है।

ब्रिटिश काल में पंचायत व्यवस्था प्रणाली लड़खड़ा गई। गावों में अपने शासन को व्याप्त करने के लिए शासकों ने गावों का प्रशासन अपने अधिकारियों के हाथ में दे दिया। जागीरदारी, जमींदारी, तालुकादारी आदि व्यवस्थाओं को जन्म दे कर पंचायतों को नष्ट कर दिया गया। परिणामस्वरूप ग्रामीण जन उस व्यवस्था के नष्ट होते ही दासता की दलदल एवं शोषण की गर्त में समाते चले गए। सन् 1908 में रॉयल कमीशन द्वारा ग्राम स्वायत शासन की ओर ध्यान दिया गया। गांवों में फिर से पंचायतों की व्यवस्था करने की बात पर जोर दिया गया। किन्तु यह सिफारिशें कागजों तक सीमित रह गई। अन्ततः 1918 में भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय शासन प्रांतीय सरकारों को सौंप दिया गया। जिसके अंतर्गत कुछ ग्राम पंचायतें बनाई गईं, किन्तु शासकों की इच्छानुसार कार्यान्वित होने के कारण साधारण जनता इस नवनिर्माण व्यवस्था का लाभ नहीं उठा सकी।

भारत की स्वतंत्रता के पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरम्भ हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में प्रांतीय सरकारों के लिए निर्देश दिए गए कि वे पंचायतों का पुर्नगठन करें और उन्हें एक सम्पूर्ण इकाई बनने में सहायता करें। इस निर्देश का पालन करते हुए समस्त प्रान्तों में पंचायतों का पुर्नगठन आरम्भ हुआ। 1952 में, विकास प्रशासन के रूप में सामुदायिक विकास खण्ड़ों की स्थापना की गई। ग्राम व्यवस्था का कार्य ग्राम पंचायतों को सौंपा दिया गया। 1957 में बलवन्तराय मेहता ने अपने शोधकार्य में इस बात को सिद्ध किया कि पंचायत व्यवस्था अथवा

पंचायतीराज ही एक ऐसा साधन अथवा कड़ी है जो ग्रामीण जनता को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने में मदद कर सकती है। यह संगठन पूरे गांव का प्रतिनिधित्व करेगा और निश्चित करेगा कि ग्रामीण विकास के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लोगों की भागीदारी कितनी आवश्यक है बलवन्तराय मेहता ने पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण स्वायत् शासन को सुनिश्चित करना चाहा।

पंचायतीराज की अवधारणा का विकास सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को गति प्रादन करने तथा इच्छित जन सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से हुआ। पंचायतीराज, सन् 1959 में अपने पूर्ण स्वरूप में आया। पंचायतीराज की अवधारणा लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की ओर एक सही कदम रहा। इस क्रम में पंचायतीराज का त्रिस्तरीय ढ़ांचा तैयार किया गया-

ग्राम पंचायत (गांव समूह के लिए)

पंचायत समीति (ब्लाक स्तर पर)

जिला परिषद (जिला स्तर पर)

सन् 1977 में अशोक मेहता कमेटी द्वारा पंचायतों के कार्यों की समीक्षा की गई। उस समीति द्वारा पंचायतों के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की बात पर बल दिया गया।

सन् 1990 के दशक में यह तथ्य उभर कर सामने आया कि संवैधानिक अधिकारों के बिना स्थानीय स्वशासन की अवधारणा फलदायी नही है।

सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज लागू हुआ। उसके पश्चात अनुभवों तथा विकास कार्य में आने वाली कमजोरियों को पहचानते हुए केन्द्र सरकार द्वारा 73 वां संविधान अधिनियम पेश किया गया जोकि अप्रैल 1993 में लागू हुआ। जिसके तहत-

हर राज्य में पंचायत की व्यवस्था एक संवैधानिक आवश्यकता है। इस संवैधानिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए हर पांच वर्षों में पंचायतों का चुनाव करवाना जरूरी है।

❏❏❏

पंचायती राज - लक्ष्य

पंचायती राज का मुख्य लक्ष्य: गांवों के लोगों को जागरूक करना है ताकि वे अपने हितों से जुड़े सामाजिक तथा आर्थिक विषयों पर खुद विचार कर सकें तथा उसे अपने जीवन में लागू कर सकें । इसके लिए पंचायतीराज अधिनियम में पूर्ण रूप से ग्रामीण स्वशासन पर जोर दिया गया है जहां पर एक व्यक्ति समाज के रूप में, अपने समाजिक हित के विषयों पर विचार कर सके। यदि पंचायत निर्णय ले तो यह निर्णय देश और समाज के हित में होना चाहिए। ग्रामीण स्वशासन के कार्यान्वित होने से प्रदेश और देश की सरकारें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं उनकी भूमिकाए हैं :

1. ग्राम पंचायतों को अधिक से अधिक सहयोग दिया जाए।
2. ग्राम पंचायतों के मध्य सामंजस्य एवम् समन्वय स्थापित किया जाए।
3. पंचायतीराज व्यवस्था को सुचारू रूप से कार्यान्वित किया जाए।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण एवम् शहरी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के सुदृढ़ होने से विधानसभाओं और संसद में जनता के प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याओं को अधिक स्पष्ट, विश्वास पूर्ण ढंग से सामने रख सकते हैं इस कार्य के द्वारा राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए नीति निर्धारण में सहायता मिलेगी। स्वशासन या स्वराज की परिकल्पना को साकार करने के लिए समुदाय के लोगों का विकास कार्यों में भागीदारी करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में स्थान मिलने के पश्चात आत्मनिर्भरता तथा स्वावलम्बन का अर्थ बढ़ जाता है कि प्रत्येक गांव अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन करे तथा विकास से जुड़ी हुई योजनाओं पर विचार करे। विकास किया जाना या विकास के लिए प्रयास किया जाना आवश्यक इसलिए माना जाता है क्योंकि यह लोगों के जीवन स्तर में सुधार ला सकता है। यदि जीवन स्तर में परिवर्तन लाना है, सामाजिक स्तर को ऊपर उठाना है तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में खुद को शामिल करना पड़ेगा। विकास और वृद्धि के स्तर पर बात करते हुए निम्न कदम उठए जा सकते हैं ताकि हम विकास कार्य को बढ़ा सके :

- पंचायत के क्षेत्र के आर्थिक तथा मानवीय संसाधनों की पहचान
- संसाधनों की क्षमता का आंकलन
- संसाधनों के सदुपयोग के लिए नीतिनिर्धारण

- योजना निर्माण
- योजना क्रियान्वयन
- कार्यों का मूल्यांकन

अन्तत: यह स्पष्ट है कि स्थानीय स्वशासन एक ऐसी परिकल्पना है जिसे लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार स्तम्भ कहा गया है और बुनियादी तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित किये बिना वास्तविक स्वशासन का दावा नहीं किया जा सकता।

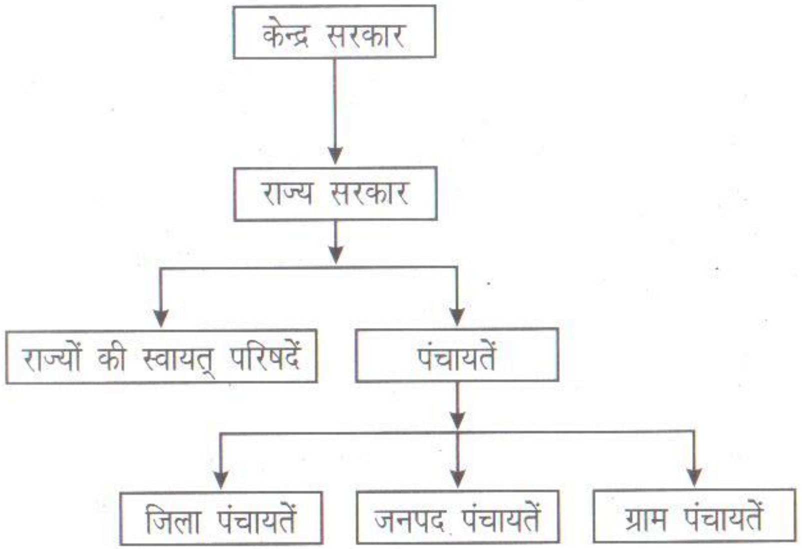

अत: स्वशासन और लोकतंत्र दोनों के भविष्य के लिए पंचायतों का स्थायित्व और उनकी मजबूती अति आवश्यक है। पंचायतों को स्थायित्व और मजबूती देने में राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार सहायता कर सकती है।

❑❑❑

पंचायती राज अधिनियम संशोधन

आजादी के पश्चात के कुछ वर्षों में पंचायतें प्रशासनिक अधिकारियों के नियंत्रण में थी। उनके पास केवल नाम मात्र अधिकार थे। ग्रामीण क्षेत्रों की गतिविधियों में ग्रामीण जनता की भागीदारी नहीं होती थी।

अस्सी के दशक में सरकार ने निश्चय किया कि विकास की नीतियों और योजनाओं को बनाने के लिए तथा क्रियान्वित करने के लिए तथा जन भागीदारी का अत्यंत आवश्यक है। स्थानीय लोगों का प्रत्यक्ष पदार्पण न होने के कारण उनमें विद्रोह भरने लगा इस एहसास के बाद वर्ष 1988 से 1992 तक केन्द्रीय सरकारों ने हर प्रकार से "पंचायतीराज" के विषय को लेकर संविधान में संशोधन करने का प्रयास किया। अन्तत: वर्ष 1992 में 73वें संशोधन के बाद पंचायतों के अस्तित्व को संसद ने स्वीकार किया। परिणामस्वरूप आजादी के पश्चात पहली बार देश में ग्राम स्तर पर लोगों को अपनी सरकार का सपना साकार होता नजर आया।

संवैधानिक तौर पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ जोकि भारत का राजपत्र (असाधारण, भाग II, खण्ड I) में प्रकाशित होकर 20 अप्रैल 1993 में लागू हुआ। इसे संविधान के खण्ड 9 के रूप में जोडा गया। ग्राम पंचायत के अधिकार एवम् कर्तव्यों को संविधान की ग्यारहवीं सूची में संलग्न किया गया है। 73वें संशोधन के बाद पंचायतीराज अधिनियम में कई ऐसी बातें शामिल की गई हैं, जो कि इस अधिनियम से पहले के पंचायतीराज के प्रावधान से बेहतर साबित होती है! जिनका उल्लेख इस प्रकार से है:

1. त्रीस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लाक स्तर पर जनपद पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला पंचायतों को स्थापित किया गया है। इन तीनों स्तरों के पंचायतों के प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया गया है।
2. पहली बार पंचायतों को संवैधानिक मान्यता मिली है। इसी कारण अब हर पांच साल में पंचायत का चुनाव आवश्यक हो गया है।
3. पंचायतों के चुनाव समय से हो सकें इसके लिए राज्य स्तर पर निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई।

4. पंचायतों में व्यवस्था संचालन के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है ग्राम सभाओं की स्थापना की गई है।

5. पंचायतों में अनूसूचित जाति जनजाति के लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया ।

6. सभी वर्गो के आरक्षण के साथ साथ समाज के हर वर्ग की महिलाओं की भागीदारी पंचायत में निश्चित किया गया।

7. पंचायतों की कार्य सीमा निर्धारित करने के लिए 29 विषयों की सूची बनाई गई है जोकि इस प्रकार से हैं:

- ❐ कृषि जिसके तहत कृषि विकास, बागवानी, बंजर भूमि और चारागाह भूमि का विकास भी शामिल है।
- ❐ भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबंदी और भूमि संरक्षण में सरकार तथा अन्य एंजेन्सियों की सहायता करना।
- ❐ लघुसिंचाई परियोजनाओं से जल वितरण में प्रबन्ध और सहायता करना तथा परियोजनाओं का निर्माण, मरम्मत करना ताकि सिंचाई के उद्देश्य से जलापूर्ति हो सके।
- ❐ पालतू जानवरों, कुक्कुटों और अन्य पशुओं की नस्लों का सुधार करना, दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन, सुअर पालन इत्यादि की प्रोन्नति करना।
- ❐ गांवों में मत्स्य पालन का विकास।
- ❐ सड़कों और सार्वजनिक भूमि के किनारों पर वृक्षारोपण यानि कि सामाजिक कृषि वानिकी और रेशम उत्पादन का विकास।
- ❐ लघु उद्योगों के विकास में सहायता करना तथा स्थानीय व्यापारों के विकास में सहायता करना।
- ❐ कृषि और वाणिज्यिक उद्योगों के विकास में सहायता करना।
- ❐ ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन तथा आवास स्थलों का वितरण।
- ❐ पीने, कपड़ा धोने स्नान करने प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक कुओं, तालाबों और पोखरों का निर्माण और मरम्मत करना।
- ❐ ईंधन और चारा भूमि से संबंधित घास और पौधों का विकास।
- ❐ सडकें, पुलिया, पुलों, नौका घाट का निर्माण।
- ❐ सार्वजनिक मार्गों और अन्य स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करना ।
- ❐ ग्राम में गैर पारम्परिक ऊर्जा के स्त्रोतों का विकास करना।
- ❐ गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना।
- ❐ प्रारम्भिक एवम् माध्यमिक स्कूलों को चलाना तथा शिक्षा के विकास के बारे में जागरूक करना।

- ❐ तकनीकी प्रशिक्षण तथा व्यवसायिक शिक्षा तथा ग्रामीण शिल्पकारों की प्रोन्नति।
- ❐ प्रौढ़ तथा अनऔपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देना।
- ❐ पुस्तकालयों तथा वाचनालयों की स्थापना।
- ❐ सामाजिक त्यौहारों तथा संगोष्ठियों का आयोजन तथा खेलकूद के लिए ग्रामीण क्लबों की स्थापना।
- ❐ पंचायत क्षेत्रों में मेलों बाजारों और हाटों का आयोजन।
- ❐ ग्रामीण स्वच्छता को बढावा देना महामारियों के विरूद्ध रोकथाम करना, मनुष्य और पशु टीकाकरण करवाना, खुले पशु और पशुधन के विरूद्ध निवारक कार्यवाही करना तथा जन्म मृत्यु और विवाह को पंजीकृत करना।
- ❐ परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
- ❐ ग्राम पंचायत स्तर पर महिलां एवं बाल विकास के कार्यक्रमों में भाग लेना तथा उन्हें चलाना, बाल स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों की देखभाल करना।
- ❐ समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण करना, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजनाओं में सहायता करना।
- ❐ कमजोर वर्गों यानि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भाग लेना।
- ❐ आवश्यक वस्तुओं के वितरण के संबंध में सार्वजनिक चेतना विकसित करना।
- ❐ सामुदायिक सद्भाव बनाए रखना।

इस उल्लेखित सूची में से कुछ विषय ऐसे हैं जिनका परोक्ष रूप से पर्यावरण के साथ संबंध है इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक आने वाले अध्याय में बात करेंगे।

❐❐❐

पंचायत एवम् पर्यावरण

73वें संशोधन के बाद पंचायतीराज अधिनियम की ग्यारहवीं सूची में उल्लेखित सूचि में से कुछ विषय ऐसे हैं जिनका परोक्ष रूप से पर्यावरण एवम् पर्यावरण सुधार के साथ संबंध है। ये सभी कृत्य ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत की सहायता से पर्यावरण सुधार एवम् प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं इन सभी कृत्यों के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी लेने से पहले पर्यावरण के विषय में जानकारी एकत्रित करते हैं।

पर्यावरण

पर्यावरण दो शब्दों के संयोग से बना है 'परि' और 'आवरण'। परि का अर्थ है 'चारों ओर'। पर्यावरण का अर्थ है 'पृथ्वी के चारों ओर का आवरण'। प्रकृति में मौजूद जैविक तथा अजैविक पदार्थों के जटिल संतंत्र के रूप में पारिस्थितिक सम्बद्धता ही पर्यावरण कहलाती है। जिसमें सभी पदार्थों ने एक गम्भीर संतुलन के अर्न्तगत विशेष कार्यरत प्रणाली का विकास किया है। दोनों ही प्रकार के घटक सदैव परिवर्तनशील अवस्था में रहते हैं परन्तु संतुलन में परिवर्तन नहीं होता।

पर्यावरण अपने आप में एक सम्पूर्ण व्याख्यान है यह अपने अंदर -

- सौर ऊर्जा
- जलवायु
- मृदा
- पेड़ पौधे
- जीव जन्तु आदि को समेटे हुए है।

पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक जैविक तथा अजैविक दोनों ही प्रकार के पाए जाते हैं। दोनों ही प्रकार के कारक परिस्थितिक अंग हैं जो कि पर्यावरण को प्रबंध करने तथा सामंजस्य में रहने में सहायता करते हैं !

सभी कारक आपस में प्रत्यक्ष एवम् परोक्ष रूप से एक दूसरे के साथ समन्वय की अवस्था में पाए जाते हैं। दरअसल, प्राकृतिक वातावरण में, एक समय में जीवन बहुत सारे कारकों से प्रभावित होता है।

निम्नलिखित प्रमुख कारक हैं जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं:

1. जलवायु

(*i*) सूर्य की रोशनी

(*ii*) हवा का तापमान

(*iii*) वर्षा

(*iv*) आर्दता (नमी)

(*v*) वातावरण (वायु और पानी)

2. भौगोलिक एवम् प्राकृतिक कारक

(*i*) ऊंचाई

(*ii*) पर्वतों एवम् घाटी की दिशाएं

(*iii*) ढ़ाल का अनावरण एवम् तीखापन

3. भूमि कारक

(*i*) मृदा का उत्पन्न होना, उसके रासायनिक एवम् भौतिक गुण

(*ii*) संबंधित कारणों की जानकारी

4. जैविक कारक

(*i*) जीवन के विभिन्न प्रकार जैसे कि पशु पौधे सूक्ष्मजीव आदि का आपस में मेलजोल इत्यादि।

यदि सभी कारकों का विस्तारपूर्वक अध्ययन करें तो हमें जानकारी मिलती है कि सभी कारक आपस में इस प्रकार से मेलजोल में होते हैं कि एक भी कारक के असंतुलित होने से पूरा पर्यावरण लड़खड़ा सकता है। यदि कभी किसी स्थान का तापमान बढ़ जाता है तो निश्चित तौर पर उस स्थान की नमी में कमी आएगी जिसके कारण पौधों में वाष्पन बढ़ जाएगा तथा पौधे मुरझाना शुरू कर देंगे। उसी प्रकार से यदि रोशनी की तीव्रता बढ जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर प्रभाव पड्ता है।

सभी प्रकार के कारकों का ग्रामीण परिवेश में अध्ययन करें तो पता चलता है कि ग्रामों की स्थिति, उनकी जलवायु, उनकी भूगौलिक स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, क्षेत्र का समतल अथवा पहाड़ी होना। ये सभी घटक किसी भी ग्राम के सामाजिक एवम् आर्थिक विकास को बहुत नजदीक से प्रभावित करते हैं। उस गांव में संसाधनों का उपलब्ध होना, आर्थिक विकास में सहायक साधनों को प्राप्त किया जाना, आर्थिक उन्नति में सहायक प्रभावकारी तत्व हैं। आमतौर पर देखा गया है कि समतल मैदानों में स्थित गांवों की भूगौलिक परिस्थिति के कारण उन गांवों में विकास कार्यों को किया जाना आसान होता है। इन क्षेत्रों में संसाधन उपलब्ध कराना आसान होता है। तुलनात्मक

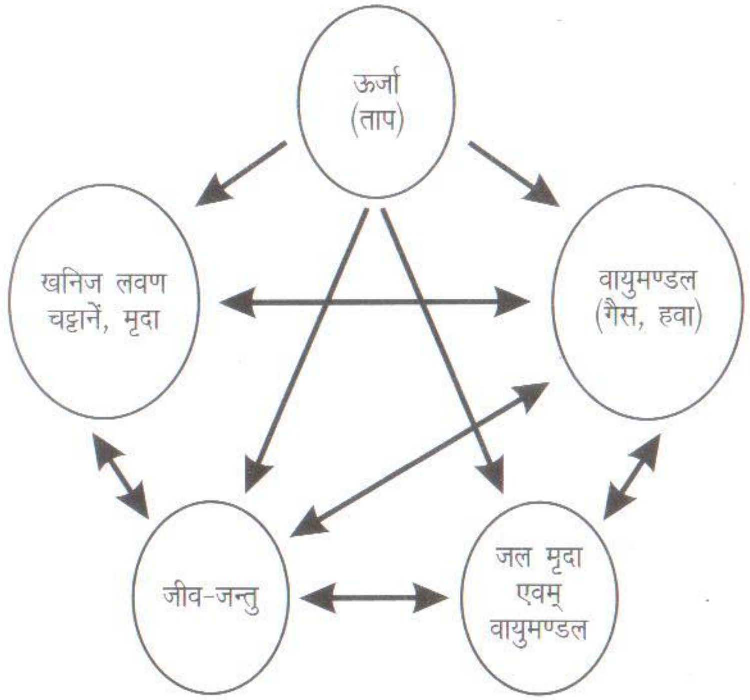

(पर्यावरण के प्रमुख कारकों का पारस्परिक संबंध)

तौर पर पहाड़ी स्थलों पर पाए जाने वाले गावों की भूगौलिक स्थिति, वहां पर पाए जाने वाले संसाधन, उनकों प्रयोग में लाने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का होना आवश्यक है।

किसी भी स्थान के संसाधनों को आम जनता को उपलब्ध कराना वहां की सरकार का कार्य होता है सरकार अपने विकास कार्यक्रमों द्वारा ऐसा कर सकती है कि उन स्थानों का अनवे-ण करके उन्हें आम मनुष्य (ग्रामीण जनता) को मुहैया करा सकती है यदि इस विकास कार्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पडता है तो सरकार श्रम दान के लिए, ढुलाई के लिए जानवर इत्यादि प्राप्त करने में ग्रामीणों की सहायता ले सकती है। सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से विकास कार्यों में भाग न लेकर प्रत्येक गांव में स्थापित पंचायतें को कार्यभार सौंप दिया जाता है। पंचायत अपने अपने क्षेत्रों में कार्यों में लग जाती है अपने क्षेत्र की जनता के साथ सामूहिक बैठकों का आयोजन करती है। जनता अपनी समस्याओं को, अपने सुझावों को पंचायत के सामने रखती है। पंचायत अपने समक्ष रखे गए प्रस्तावों पर विचार करती है तथा उस प्रस्ताव को राज्य एवम केन्द्र सरकार के सामने रखा जाता है सम्पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात पंचायत विकास कार्य शुरू कर देती है। 73वें संशोधन के बाद ग्यारहवीं सूची में वर्णित कार्यों में कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि पर्यावरण से सम्बन्धित हैं। उन कार्यों का पर्यावरण के साथ कहीं न कहीं परोक्ष संबंध है।

❒❒❒

पर्यावरण संभावित क्षेत्र में पंचायती राज का योगदान

73वें संशोधन के बाद ग्यारहवीं अनुसूची के पर्यावरण संबंधित पंचायती राज सहकारिता विषय निम्न प्रकार से हैं!

- कल्याणकारी खाद द्वारा कृषि विकास
- जल संग्रहण विकास
- सामाजिक वानिकी
- लघु वन उत्पाद
- जल निकायों का निर्कषण एवम् साफ सफाई
- व्यर्थ जल संग्रहण एवम् नि-कासन
- समुदायिक तौर पर बायोगैस प्लांट स्थापना
- ईधन- चारा विकास
- गैर परम्परागत ऊर्जा संसाधनों के स्त्रोतों का विकास
- तकनीकी वृद्धि एवम् पंचायत विकास
- वन विकास कार्यालय
- वनरोपण एवम् परिस्थितिक विकास
- पर्यावरण जागरण

कल्याणकारी खाद द्वारा कृषि विकास

कृषि विकास और ग्रामीण विकास दोनो ही एक दूसरे के प्रशंसनीय पूरक हैं। इसलिए पंचायत विकास और ग्रामीण विकास के लिए कर्शष के क्षेत्र में विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। तकनीकी ज्ञान जिसका इस्तेमाल प्राकृतिक संसाधनो को शोषित करने में इस्तेमाल हो रहा है उससे उत्पादन तो बढ रहा है लेकिन मृदा का ह्रास हो रहा है। कीटनाशकों का प्रयोग सीधे मनुष्यों के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है।

कृषि विकास और ग्रामीण विकास, ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्रांतिकारी कदम है कृषि विकास में रासायनिक खादों के अत्याधिक प्रयोग से कृषि क्षेत्र में एक क्रान्ति तो आई किन्तु पर्यावरण के संदर्भ में देखा जाए तो क्रान्ति ने मृदा अपरदन और मृदा प्रदूषण के खतरे को बढ़ा दिया है। रासायनिक खादों और रासायनिक

साधनों के अधिक प्रयोग से जमीन में क्षारीय तथा अम्लीय तत्वों की मात्रा बढ रही है जिसके कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो रही है। कभी कभी ज्यादा रासायनों के प्रयोग से भूमि में रासायनिक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। जोकि कभी कभी जमीन से रिसकर भूमि जल में मिल जाती है तथा मृदा प्रदूषण से शुरू होकर जल प्रदूषण को बढ़ा देता है। इस समस्या के समाधान के लिए पंचायतों ने कार्बनिक खेतीबाड़ी के सामान्य विचार को बढ़ावा दिया है क्योकि यह तकनीक मृदा को अपनी उपजाऊ शक्ति बढाने में सहायता करती है। जैव खाद एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कार्बनिक व्यर्थ को खाद के रूप में प्रयोग किया जाता हैं। इस काम के लिए पंचायत मुख्य भूमिका अदा करती है। वे जागरूकता निर्माण कर सकते हैं तथा जैव खाद उत्पादन तकनीक को गावों में अमल में ला कर सकते हैं। पंचायत स्थानीय किसानों को इस तकनीक के बारे में जागरूक कर सकती है। उन्हें जैव खाद उत्पादन के लाभ के बारे में बता सकते है। पंचायत उन किसानों को अनुदान सुविधा उपलब्ध करा सकती है जो इस तकनीक को अपनाना चाहते हैं। इस तकनीक के इस्तेमाल से ऊर्वरक की कीमत और खाद की बचत करने में किसानों को मदद मिलती है। इस तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए किसी भी प्रकार के गूढ़ तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जैव खाद उत्पादन पंचायत की मदद करती है कि वे कार्बनिक अपशिष्ट के उपचारण खर्च को बचा सके जो कि वे अपने क्षेत्र के उत्थान में लगा सकें। जैव खाद उत्पादन गावों में केन्द्रीयकृत आधार पर किया जा सकता है जिसका सारा कार्यभार पंचायत कर सकती है। इससे पंचायत को मदद मिलेगी कि वे कुछ राजस्व कमा सके एवम् गावों के विकास में मदद मिलेगी।

जल संग्रहण विकास

जल संग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र अथवा नदी के संग्रहण क्षेत्र तीनों सामानार्थक है यह नदी जैसे प्राकृतिक संसाधन का बना होता है जिसमें खास तौर पर जल, मृदा, वनस्पति जैसे कारक शामिल हैं। एक विस्तृत रूप से जल संग्रहण क्षेत्र का विकास उसके सभी प्राकृतिक संसाधनों को उत्पादक के रूप में इस्तेमाल

करने के लिए किया जाता है। उसकी सुरक्षा से संबधित उपायों के लिए ही जल संग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस कार्य में हम भूमि सुधार पुर्नविकास तथा अन्य तकनीकि कार्यो को शामिल करते हैं। इसमें जन विचार विमर्श को भी सम्मिलित किया जाता है। पंचायत की जल संरक्षण प्रबंधन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका है। पंचायत स्थानीय लोगों का समूह बनाती है जो इस विकास कार्य को करने में, उस पर अमल करने में तथा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में सहायता कर सकते हैं।

पंचायत अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का पता लगा कर वहां पाए जाने वाले व्यर्थ पड़े हुए क्षेत्र का ब्यौरा तैयार करती है ताकि वहां पर वृक्षारोपण करके मृदा अपरदन को रोका जा सके।

स्थानीय जातियां अपनी खेतीबाड़ी की कार्यवाहियों के साथ-साथ व-र्ा जल संग्रहण करने के लिए बांध विकास के लिए नालियों आदि का प्रबंध करती है ताकि भवि-य में उस एकत्रित जल का प्रयोग किया जा सके।

पंचायत स्थानीय लोगों की जागृत करती है और उनके मन में इस प्रकार कें कार्यो में भाग लेने की भावना को बढ़ावा देती है। पंचायत एक कार्यकारी संस्था के रूप में कार्य करती है ताकि वह इस कार्य को बढ़ावा दे सके।

पंचायतें अपनी समस्याओं को उन संस्थाओं को साथ बांटे जो इस क्षेत्र में साधक कार्य कर रही हैं ताकि वे उस क्षेत्र की वर्तमान परिस्थिति से अवगत हो सकें। पंचायतें उन साधक संस्थाओं जो कि इस क्षेत्र में कार्य कर रही है, को व्यवस्थित तौर पर जनता की आवश्यकताओं के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से जल संग्रहण प्रबंधन के वि-ाय में विस्तृत जानकारी दे सकती हैं। पंचायतें अपनी समस्याओं को उन संस्थाओं के साथ बांट सकती हैं ताकि वे उस क्षेत्र की वर्तमान परिस्थिति से अवगत हो सकें ।

पंचायत, लोगों तथा संसाधनों के पुर्न विकास में सहायता करती है। उदाहरण के तौर पर कुछ गावों की पंचायत की भागीदारी का वर्णन कर सकते हैं।

लघु सूक्ष्म जल संरक्षण विकास सुखोमाजरी ग्राम

पंचायतों ने जल संग्रहण के क्षेत्र में क्रांतिकारी भूमिका निभाई है सुखोमाजरी नामक एक ग्राम से मिलता है जो कि चंडीगढ़ शहर के नजदीक स्थित है उसमें 'पहाड़ी संसाधन प्रबंधन संस्था', एक ग्रामीण स्तर की संस्था ने प्रत्येक घर से एक सदस्य को अपने साथ शामिल किया है उन लोगों को सामूहिक तौर पर

सूक्ष्म जल संग्रहण प्रबंधन के विषय जानकारी दी है। इसके साथ साथ वहां बनाए गए एक लघु सूक्ष्म पानी देने योग्य जलाशय के नजदीक नष्ट हुए वन स्थल को सुरक्षित करने के उपाय किए जा रहे हैं। इस कार्य योजना के बहुत से लाभ हुए हैं। जैसे कि जल प्रबंधन बढ़ा है भूतल का जल फिर से बढ़ने

लगा है मृदा अपरदन की गति तीव्रता कम हुई है जिसके कारण तीन गुना ज्यादा पैदावार हुई है। घास चारे की उपलब्धता बढने लगी है। दूध की मात्रा बढ़ गई है तथा महत्त्वपूर्ण बात यह है कि आश्चर्यजनक रूप से घरेलू आय में बढ़ोत्तरी हुई है। जल संरक्षण तकनीक लागू करने के लिए निम्न बातों का अपनाया गया है :-

(*i*) छोटे-छोटे मिट्टी के बांध बनाए गए जिससे खेतीबाड़ी का उत्पादन बढ़ाया गया।

(*ii*) बांध से पानी छोड़ कर फसलों की पैदावार बढ़ाई गई है।

(*iii*) पहाड़ी का आर्थिक तौर पर पुर्नविकास किया गया।

नांदा गांव में फसलों की पैदावार 1970 में 40 कि.ग्रा./ हैक्टेयर से बढ़ कर 1986 में 2000 कि.ग्रा./ हैक्टेयर को गई।

जल संरक्षण तकनीक से प्राप्त किए गए लाभः-

- गेहूं की पैदावार बढ़ कर 40.6 टन (1977) से बढ़ कर 63.6 टन (1986) हो गई।
- मक्का की पैदावार बढ़ कर 40.9 टन (1977) से बढ़ कर 54.3 टन (1986) हो गई।
- घास की पैदावार बढ़ कर 40 कि.ग्रा./ हैक्टेयर (1976) से बढ़ कर 3 टन/ हैक्टेयर (1992) हो गई।
- चारे का उपलब्धता ने पशुओं के समुदाय की रचना में परिवर्तन आया।
- भैंसों की संख्या बढ़कर 79 (1975) से बढ़ कर 291 (1986) हो गई।
- दूध का उत्पादन बढ़ कर 334 लिटर/दिन (1977) से बढ़ कर 579 लिटर/दिन (1986) हो गया।
- पेड़ों का घनत्व 13/ हैक्टेयर (1976) से बढ़ कर 1292/ हैक्टेयर (1992) हो गया।
- 400 हैक्टेयर के सुखोमाजरी वन में तकरीबन 0.3 मिलियन कीमती खैर Acacia catechu) के पेड़ हैं।
- जल संरक्षण के परिणामस्वरूप अत्यधिक रेशे वाली भभ्भर घास (Eulialopsis binata) की पैदावार बढ गई, सुखोमाजरी गांव के लोग इस घास का प्रयोग चारे के रूप में करते हैं तथा कागज की मिलों में बेचते हैं।
- 1979 से 1984, इन पांच सालों में घरेलू आय बढ़कर 10,000 से 15,000 हो गई।
- 1998 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार ऐसा पाया गया कि सुखोमाजरी में आय का बंटवारा हरियाणा के ग्रामीण आय के बंटवारे से मेल खाता है।

इस प्रकार पंचायत के प्रयासों एवम् गांव के लोगों के कठिन परिश्रम से सुखोमाजरी गांव के पर्यावरण की बिगडी हुई स्थिति में न केवल सुधार आया है अपितु गांव के आर्थिक उत्थान की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव आया है।

वर्षा जल संग्रहण (राजस्थान)

वर्षा जल संग्रहण की दिशा में राजस्थान में क्रांतिकारी दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

कई वर्ष पूर्व राजस मथियाला में पानी की पूर्णत: कमी के कारण उसे स्त्रोत रहित गांव के रूप में जाना जाता था। वर्षा जल को प्रतिपादित करने की आवश्यकता को ध्यान में रख कर इस गांव के 1500 लोगों ने 45 अवरोध बांध, 13 छिड़काव के कुएं तथा 1 जल संग्रहण कार्यक्रम के लिए धन लगाया। उन्होंने वर्षा जल को अवरोध बांध की मदद से रोका। जितनी भी वर्षा गांव में होती थी वो सारा जल धरती के तल में जाता था वहां पर वर्षा की दर केवल 4 इंच थी फिर भी कुएं (एक स्त्रोत) पानी से भर गए। ग्राम पंचायत ने एक संगठन की स्थापना की जिसमें सभी समुदायों के लोगों की सदस्यता थी जैसे कि राजपूत तथा सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए पटेल। गांव के सरपंच हरदेव सिहं जाड़ेजा ने इकट्ठे किए गए पानी को हर घर तक पंहुचाया। आज 15-20 फीट की गहराई तक पानी गहरे गड्ढों में रहता है, खेत के कुओं में काफी मात्रा में पानी अभी भी मौजूद रहता है। अब गांव में वन रोपण योजनाओं तथा गृह उद्यान तथा साग सब्जी उगाने के कार्यों के लिए जल उपलब्ध होने लगा।

वर्षा जल संग्रहण 'अलवर'

जल संरक्षण के क्रांतिकारी कार्य में राजस्थान में सूखा पीड़ित गांवों में पंचायत ने गैर सरकारी संस्थाओं की सहायता से गांव के लोगों को पानी मुहैया कराया। मध्य 1980 में तरूण भारत संघ, स्थानीय ऐच्छिक संस्था की सहायता से गोपालपुर, अलवर के ग्रामीणों ने तीन छोटे-छोटे जोहड़ों का निर्माण किया है जिससे कि वे वर्षा जल का संग्रहण कर सकें। ये छोटे-छोटे अवरोध बांध मानसून की वर्षा के जल को एकत्रित कर लेते हैं, खेतों में सिचाईं करते हैं, बूंद बूंद कर के पानी धरती के नीचे चला जाता है और कुओं को फिर से भरने लगता है। सघन वन कटाव के कारण भूमिगत जल का पुर्नजलीकरण नहीं को पा रहा था जिसके परिणामस्वरूप कुओं में जलस्तर घट गया और कुएं सूख गए। अगले मानसून की वर्षा के बाद कुओं में पुन: जल आया। अवरोध बांध बनाने का विचार पानी को इकट्ठा करके, सुरक्षित करके, वनों के पुर्नीकरण एवम् सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। जिससे मृदा अपरदन की गति पर रोक लगेगी। जिन समुदायों में यह कार्य हो रहा था वहां पर अनुकूलता निश्चित है।

इन प्राथमिक उपायों की सफलता के कारण अवरोध बांध का निर्माण तथा पूर्व अवस्था में लाने का कार्य बढ़ गया है। तकरीबन 650 गांवों में 3000 जल एकत्रण गृहों का निर्माण किया जा चुका है। अब ग्रामीणों तथा तरूण भारत संघ ने 6500 वर्ग मीटर की भूमि का पुर्नीकरण किया है। इन क्षेत्रों में भूमिगत जल एवम् सतह जल की मात्रा बढ गई है। भूमिगत जल स्तर औसतन 6 मीटर बढ़ गया है। वन आवरण 33 प्रतिशत तक बढ गया है। पांच औपचारिक मानसून नदियां जोकि आमतौर पर सूखी रहती थीं अब पूरा साल जल से भरी रहती हैं जिसके परिणामस्वरूप 20 प्रतिशत अतिरिक्त भूमिगत जल पुनः स्तर को बढा देता है। यह सारा लाभ कुछ वर्षा जल के 3 प्रतिशत से प्राप्त किया जा रहा है।

जल की पूर्णतः उपलब्धता ने खेतीबाड़ी के उत्पादन को बढ़ाने एवम स्वसिद्ध होने में सहायता की है ग्रामीणों एवम तरूण भारत संघ के आर्थिक लाभ प्राप्ति की दिशा में किए गए प्रयास दृष्टिगोचर हैं। औसतन सालाना प्रति व्यक्ति आमदनी 989/- की दर से बढ़ रही है। अवरोध बांध बनाने के लिए लगाया गया प्रति डालर का आर्थिक उत्पादन बढ कर 210/- हो गया है। पर्यावरण ह्रास से जुड़े हुए नकारात्मक सामाजिक प्रभाव भी अधोमुख हो गए हैं जिसके परिणामस्वरूप स्थानान्तरण दर में कमी आई है, स्कूलों में हाज़री बढ़ गई है।

ग्रामीणों व तरूण भारत संघ के प्रयासों से तीव्र गति से गांवों में पर्यावरण पुर्नीकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रभावशाली ग्रामीण स्तर की संस्थाओं को सहमति दी गई है कि वे सामूहिक तंत्र बनाएं जोकि अधिक से अधिक लोगों द्वारा चलाया जाए। प्रत्येक परिवार जोकि गांवों में जल संरक्षण की गतिविधियों की देखभाल कर रहा है को केन्द्रीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व के लिए आगे लाया जाए। ग्रामीण प्रत्यक्ष रूप से जल संरक्षण के कार्य में भाग ले रहे हैं जिसमें लागत का वहन भी शामिल है। 1997-98 में जल संरक्षण की लागत 175 मिलियन थी जिसमें से 130/- मिलियन ग्रामीणों द्वारा लगाया गया था नकद अथवा किसी और रूप में।

जल संरक्षण कार्यक्रम का क्रमबद्ध विवरण:

- ग्राम सभाओं की सहायता से 100 वर्षों में तकरीबन 500 जल संग्रहण ढ़ाचों का निर्माण किया गया।
- 15 करोड़ रूपये खर्च किए गए, जिसमें से 11 करोड़ गरीब ग्रामीणों द्वारा किया गया।
- 36 गांवों में, 166 जोहड़, जिनमें सांझे तौर 335,000 घन मीटर पानी इकट्ठा किया जा सकता है। इनमें 8,152 हैक्टेयर इलाके का पानी इकट्ठा किया जा सकता है। इसकी कीमत है 30,35,202 रूपये।
- इन गांवों में भूमिगत जैल का स्तर बढ़ कर 10 फीट से 24.5 फीट हो गया।

- सालाना कुल ग्रामीण उत्पाद 78, 648 रूपये से बढ़ कर 1,123,857 रूपये हो गया।
- सालाना प्रति व्यक्ति आय बढ़ कर 126 रूपये से बढ़ कर 3585 रूपये हो गई।
- राजस्थान कहीं से भी सूखे और जल कमी का समानार्थक नहीं रहा।
- रूपारल एवम् अखारी नदियों ने तीन दशक के बाद साल भर बहना शुरू किया।
- अलवर की पांच नदियां नष्ट होने के बाद जीवित हो गई।
- गोपालपुर के साथ साथ 45 गांव पुर्नजीवित हो गए।
- अलवर तथा आसपास के जिलों का चेहरा बदल गया जब उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों का प्रयोग किया।

जल संग्रहण विकास 'झबुआ' मध्यप्रदेश

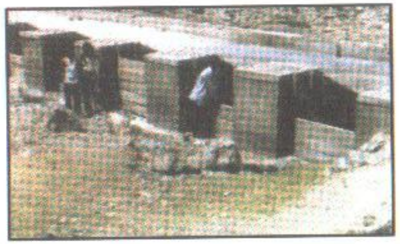

मध्यप्रदेश के झबुआ नामक स्थान पर 22 प्रतिशत के आसपास के भूमि क्षेत्र का 149,283 हैक्टेयर जिसमें 374 गांव शामिल हैं में जल संग्रहण कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। 4 वर्षों के अन्दर कार्यक्रम के निम्न लाभ देखे गए हैं:

- जल प्राप्ति का प्रतिशत बढ़ गया है सिंचाई क्षेत्रों का दोहरापन तथा खेतीबाड़ी का उत्पादन बढ़ गया है।
- प्राकृतिक बहाव की गति को बढ़ा दिया गया है प्राकृतिक प्रपातोंऐंकी समयावधि बढ़ गई है।
- घास (चारे की उपलब्धता को बढ़ाना) तथा पेड़ों (2 मिलियन पेड प्रति वर्ष) का पुर्नजन्म।
- गरीब को आर्थिक पुर्नावृति तथा सकारात्मक सामाजिक प्रभाव (साहूकारों पर निर्भरता समाप्त हो गई, खाद्य सुरक्षा बढ़ गई तभा स्थानांतरण की दर में 30 प्रतिशत तक कमी आई है।)

यह कार्यक्रम परिवर्तनीय है क्योंकि इसका सारा ध्यान कम कीमत के विकल्प तथा विस्तृत रूप से धारण किये गए देसी समाधान की तरफ है प्रति हैक्टेयर के आधार पर कार्यक्रम की लागत 1/4 मानक वनरोपण कार्यक्रमों की तुलना में 1998 के मध्य में झबुआ का कुल खर्च 193 मिलियन था जिसमें से तकरीबन 14 मिलियन सीधे तौर पर जल संग्रहण विकास विनियोग पर लगाया गया ताकि रोजगार पैदा किया जा सके।

पर्यावरण ह्रास तथा गरीबी के कारणों को जानने के बाद सरकार ने अपना योगदान दिया पंचायतों की मदद से जन सहयोग एवम् जल संग्रहण प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे नाजुक बात थी सरकार का सीमित किन्तु कूटनीतिक रूप में भूमिका निभाना एवम ग्रामीणों का सकारात्मक सहयोग। कार्यक्रम की प्रभाव शालीनता जन सहयोग तथ ग्रामीणों के अन्दर अधिकार की भावना जागृत करने से बढ़ गई। कार्यक्रम की सफलता इस बात से सिद्ध हो गई जब देखा गया कि ग्रामीणों की तरफ से भूमि संरक्षण एवम् जल संरक्षण कार्यक्रमों की मांग बढ़ गई।

कार्यक्रम की सफलता की क्रमद्ध गणना :

- झबुआ के 149,283 हैक्टेयर में बसे 374 गांव अकेले ही जिले का 22 प्रतिशत आवरण बनाते हैं।
- राज्य भर में कार्यक्रम के अंर्तगत मार्च 1998 के अंत तक, 7827 गांवों की 3.39 मिलियन हैक्टेयर भूमि पर 750 लघु जल संरक्षण क्षेत्र बनाए गए।

  जब झबुआ जिले की 4 वर्षों की परिस्थिति का अवलोकन किया गया तो निम्न लाभ प्राप्त किए गए
- जल आपूर्ति बढ़ने से सिंचाई क्षेत्र बढकर 1115 हैक्टेयर को गया है जोकि कुल सिंचाई क्षेत्र (1994 95) का दुगना हो चुका है।
- प्राकृतिक धाराओंके जल के बहाव का समय अंतराल एवम् तीव्रता बढ़ गई है।
- सिंचाई बढ़ने से, खेतीबाडी का उत्पादन भी बढ़ गया है।
- मूल्य का आंकलन दर्शाता है कि तकरीबन 2 मिलियन पेड़ जीवित हो गए हैं।
- पुर्नजीवन की दर उन क्षेत्रोंमें बहुत तेज है जिनमें केवल वन संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं तीव्रता का कारण है जल संरक्षण प्रयासों से भूमि की नमी बढ़ जाती है तथा फलस्वरूप पौधों की बढ़त। परिणामस्वरूप उन ग्रामीणों को प्रतिफल प्राप्त करने में सहायता मिलती है जो इस कार्य में शामिल हैं
- स्थानीय लोगों के लाभ से जुड़ा सबसे बड़ा कार्य है स्थानीय घास का तीव्र गति से पुर्नजीवित होना जिसके फलस्वरूप चारे की उपलब्धता बढ़ गई है। कुछ अनुमान बताते हैं कि पुर्नजीवित भूमियों से 5-6 गुना ज्यादा घास प्राप्त की जा सकती है ।
- जल संग्रहण, विकास कार्यक्रम का स्थिर सामाजिक प्रभाव है। स्थानीय साहूकारों पर निर्भरता इन 18 लघु जल संग्रहण में धीरे-धीरे कम हो गई है।

रेगिस्थान में बांध का निर्माण

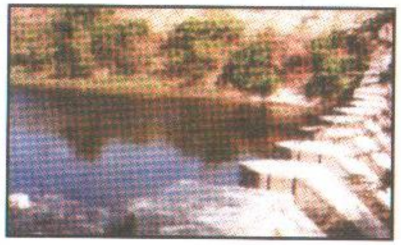

राजस्थान के टोंक जिले के जाउनला गांव, में (जलसंग्रहण प्रंबधन के लिए) Indo German Bilateral Project एक सीमित हद तक गरीबों के दुःख को दूर करने सफल हुआ है। यह कार्यक्रम 1999 से चल रहा है जिस पर 93 लाख का निवेश हुआ है, इस कार्य में राजस्थान के वन विभाग, तथा जयपुर में स्थित एक Kumarappa Institute of Gram Swaraj (NGO जोकि German Technology Cooperation) है जिसने कृषि मंत्रालय के प्राकृतिक संसाधन प्रंबधन खण्ड के साथ मिल कर धन

आपूर्ति में सहायता प्रदान की है । इसका प्रमुख उद्देश्य है मृदा अपरदन पर रोक लगाना भूमिगत जल स्तर बढ़ाना, लोगों के जीवन यापन में सुधार, महिला समुदायों को स्व-सहायता के लिए प्रोत्साहन, साहुकारों पर निर्भरता में गिरावट !

मृदा अपरदन को रोकने का सबसे बेहतर उपाय है वनरोपण। यद्यपि, जल की कमी से पीड़ित क्षेत्रों में ऐसा राहत कार्य मुश्किल काम है । इस बात ने वन अधिकारों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि छोटी से छोटी मात्रा भी जल की संरक्षित की जाए तथा उत्पादन कार्य में लगाई जाए । इस कार्य को करने के लिए अवरोध बांध, बन्ध आदि का प्रयोग कुछ खास स्थानों पर किया जाए ताकि कुछ 7-23 लाख के क्षेत्र को उपचारित किया जा सके। ये एक संग्रहण स्थल तालाब की तरह दिखाई देते हैं जहा से खेती बाड़ी तथा पशुओ के लिए जल प्रयोग में लाया जा सकता है। इन संग्रहणों का प्रयोग भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। 7.2 हैक्टेयर के व्यर्थ क्षेत्र में 4000 पौंधे लगाए गए जिनमें पेड, पौधे एवम् झाडियां शामिल थीं इससे न केवल मृदा अपरदन को कम करने में लाभ बल्कि ग्रामीणों को आमदनी भी मिलने लगी। साथ ही साथ बन्ध बनाना, मृदा का उन्नतिकरण, भूमिका स्तरीकरण आदि भूमि विकास कार्यों को किया जाने लगा ताकि भूमि की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके !

ग्रामीणों से बातचीत करने पर पता चला कि इन सभी प्रयासों से उन्हें बहुत लाभ मिला है यद्यपि इस सुधारको होने में कई साल लगेंगे लेकिन अब उन्हें काम की तालाश मे पड़ोस के गांवो मे जाने की जरुरत नही है। UN-WORLD PROGRAM के एक अधिकारी ने जोर दिया कि ऐसे बहुत से कार्यक्रम थे जो उन के क्षेत्रों में चल रहे थे लेकिन उन ग्रामीणों चेहरों के भाव कुछ और भी कहानी कह रहे थे लम्बे समय से चला आ रहा सूखा ,फसल-नाश, स्थानांतरण कार्यक्रम में स्थानीय Kumarappa Institute of Gram Swaraj (NGO) ने जउनला, शफिपुर, दोताना, तथा राजवस आदि गांवों में दूर तक सुनाई देने वाले योगदान दिए हैं जोकि ग्रामीणों में जागरूकता पैदा कर सकते हैं ताकि वे सीमित रूप से प्राकृतिक संसाधनों, शिविरों तथा कार्यशालाओं तथा शिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठा सकें। महिला मण्डल तथा ग्राम विकास समीति बनाई गई। राजवस में तकरीबन 20 महिलाओं को चरखा चलाने के लिए प्रशिक्षित किया गया। वे धागे बनाती हैं तथा उन्हें खादी ग्रामोद्योग समीति को खादी के कपड़े बनाने के लिए भेज देती है। इससे उन्हें प्रतिदिन 25/- की आय होती है। इसी प्रकार से जउनला गांव की दस महिलाओं को रत्नों को काटने की मशीनें दी गईं ताकि वे प्रतिदिन 40/- कमा सकें। आय प्राप्ति के साधनों के कारण उनमें साहूकारों पर निर्भरता की भावना घट गई। यदि धन उधार लेना भी होता तो वे सामुदायिक बचत से पैसा उधार लेती तथा बायो-गैस संयंत्र लगाए गए। जिसके पिणाम स्वरूप वनों से ईंधन की लकड़ी की बचत होने लगी। किसानों को कार्बनिक खेती के बारे में अवगत कराया गया। उन्हें केंचुए द्वारा बनाई गई खाद के बारे में पता चला तथा उर्वरक खाद का प्रयोग किया जाने लगा ताकि रासायनिक उर्वरक पर निर्भरता कम हो सके। IGBP तथा NGO के साथ मिलजुल कर ग्रामीण नौजवानों तथा युवतियों द्वारा उठाया गया यह कदम सराहनीय है।

सामाजिक वानिकी

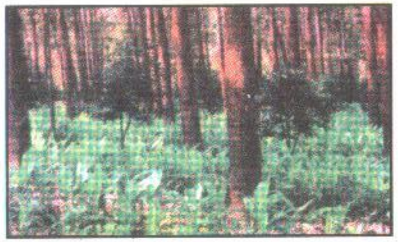

वन हमारे लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं। इनके तीन महत्वपूर्ण कार्य हैं-

1. वन प्रबंधकारी भूमिका निभाते हैं जलवायु की परिस्थितियों के प्रबंधन में।
2. वन उत्पादक भूमिका निभाते हैं - भोजन, ईंधन, दवाएं, इमारती लकड़ी तथा अन्य महत्वपूर्ण उत्पाद देने में।
3. वन रक्षात्मक कार्य करते हैं - बाढ तथा मृदा अपरदन से भूमि के रक्षण में ।

ग्रामीण क्षेत्र विकास मंत्रालय की सहायता से पंचायत वनों की सुरक्षा के साथ साथ संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम तथा सामाजिक वानिकी को आरम्भ कर सकती है। पंचायत अपने क्षेत्र में स्थानीय लोगों को वन संरक्षण तथा वन आवरण बढ़ाने जैसे विचारों के प्रति जागरूकता फैला सकती है तथा अपने क्षेत्र के ग्रामीणों में भागीदारी की भावना को, हाथ से हाथ मिला कर अपने वनों के संरक्षण की भावना को बढ़ावा दे सकती है।

पंचायत एक उच्चतम् संगठन माना जाता है जोकि संयुक्त वन प्रबंधन के कार्यक्रम को आरम्भ कर सकती है तथा क्रियान्वित कर सकती है क्योंकि उन को पता है कि वन तथा वन उत्पाद ग्रामीण विकास के लिए कितने आवश्यक हैं तथा किस प्रकार उन से धन अर्जित किया जा सकता है।

पंचायत अपने क्षेत्र के वन क्षेत्रफल को बढ़ा सकती हे तथा इस प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग क्षेत्र के सामाजिक एवम् आर्थिक विकास के लिए स्वस्थ तरीके से किया जा सकता है।

वन ह्रास की तरु जनता द्वारा प्रतिउत्तर

उड़ीसा में वन संरक्षण की दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। उड़ीसा की स्थानीय जातियां 1200 वन क्षेत्रों का प्रबंधनज् करती हैं जोकि कुल क्षेत्र का 186,900 हैक्टेयर है। इस कार्य में उनकी सहायता करती है प्रयोगकर्ता समूह संगठन। बिन्जगिरी के संरक्षित वन के 360 हैक्टेयर में पर्यावरण प्रबंधन संरक्षण एक चलित बल है जोकि एक उन्नत कार्यप्रणाली है। 1960 के आसपास ग्रामीणों द्वारा वन क्षेत्र को पूणत: समाप्त कर दिया गया था। धाराएं सूख गईं, तालों में मिट्टी बढने लगी एवम् जलावन की लकडी की कमी हो गई। केसरपुर के निवासियों द्वारा बिन्जगिरि श्रृंखला को बचाने का कार्यभार संभाला गया। ग्रामीणों को इस बात का

एहसास हो गया था कि यदि वन को पुर्नजीवित न किया गया तो वह लुप्त हो जाएगा। जिसके फलस्वरूप वृक्ष व जीवन बंधु परिषद का संगठन आंतरिक तौर पर किया गया जिसमें समुदाय को आवश्यक सहायता प्रदान की गई ताकि वन संरक्षण में सहायता मिल सकती हैं इस प्रकार के प्राथमिक कार्य पंचायत द्वारा किए जा रहे हैं जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण को सुधारा जा रहा है पंचायती राज संस्थाए सामाजिक वानिकी एवम् अन्य अनुदानों के प्रोत्साहन के लिए कार्य कर रही हैं ताकि स्थानीय लोगों को सहायता प्रदान की जा सके।

जन भागीदारी के मुख्य तथ्य:

- उड़ीसा में वन संरक्षण समुदायों द्वारा 4000 से 8000 कार्यकारी संस्थाए हैं।
- वन प्रबंधन समूह द्वारा 25 से 500 हैक्टेयर तक हर जगह नियंत्रण किया जा रहा है।
- अनाधिकृत समूहों कि संख्या तकरीबन 4000 से 8000 तक है।
- यहां तकरीबन 2,619 अधिकृत वन संरक्षण संस्थान हैं।
- कुल संरक्षित क्षेत्र 57,182 वर्ग/कि.मी. इन संस्थाओं के अन्तर्गत है।

संयुक्त वन प्रबंधन

1 जून 1988 को संयुक्त वन विश्लेषण के बाद पंचायत द्वारा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश तथा कर्नाटक में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम लागू किया गया। यह एक सहयोगी कदम है जहां पर पंचायत, वन प्रबंधक, गैर सरकारी संस्था तथा अन्य स्थानीय सामुदायिक संस्थाएं संसाधनों की सुरक्षा एवम् प्रबंधन के लिए कार्य कर रहे हैं। इस वन संरक्षण समिती का गठन जिला वन कार्यालय की सहायता से किया गया है सदस्यों का चुनाव संबंधित गांव के लोगों द्वारा किया जाता है। ग्रामीणों को कुल लाभ का 25 प्रतिशत दिया जाता है वे वन के ड़ंड़ियां, फल, घास, फूल, गिरे हुए पत्ते, बीज (काजू को छोड कर) इकट्ठे कर सकते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन द्वारा यद्यपि ग्रामीणों को अधिकार दिए जाते हैं किन्तु फिर भी वन संस्थान का शक्ति केन्द्र सरकार के ही पास रहता है।

सफलता का क्रमबद्ध आंकलन:

- साल की सुरक्षा के लिए 11 गांवों में सामाजिक आर्थिक योजना लागू की गई।
- 1272 हैक्टेयर के जंगल की सुरक्षा के लिए 618 परिवारों ने भाग लिया।
- 1990 की जुलाई तक 1611 वन सुरक्षा समुदायों की स्थापना की जा चुकी थी जिसमें प. बंगाल के बन्कुरा, मिडनापुर तथा पुरूलिया आदि दक्षिण पश्चिम जिलों की 195,000 हैक्टेयर की वन भूमि की सुरक्षा की गई जोकि कुल वन भूमि का 47 प्रतिशत है।

स्थानीय जातियों के लिए के वन संरक्षण

1968 में दक्षिण बिहार के 'कुंडाडेन' वन की परिस्थिति बहुत बुरी थी। अधिकतर पेड़ गिर गए थे। ईंधन के लिए जडों को उखाड़ लिया गया था जिसके कारण केवल पथरीला भूमि आवरण ही रह गया था। 1972 में आसपास के गाव वालों की एक सभा बुलाई गई जिसमें वन उत्पादों की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

कुछ स्थानीय नेताओं ने वन संरक्षण के लिए सामूहिक आंदोलन की भावना की ओर जोर दिया। प्रत्येक गांव में समूह बनाए गए तथा निश्चित किया गया कि वे गांव के दूसरे लोगों से मेलजोल बढाएंगे एवम् उन्हें भी आदोलन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। वन संरक्षण समुदाय के सभी सदस्य सप्ताह में एक बार मिलेंगे तथा वन निरिक्षण की व्यवस्था तथा वन समस्याओं पर बात करेंगे। गश्त एक अति आवश्यक कार्य है जिसमें गांव के आदमी, औरतें, लडके, लडकियां सभी भाग लेंगे। प्रत्येक गांव अपना वन रक्षक देगा। वन संरक्षण समुदायों का संदर्भ तकरीबन 34 गांवों में फैलाया गया जिसके लिए त्यौहारों के मौकों पर सामाजिक सभाओं का आयोजन करके, स्थानीय पत्रिकाओं में लेखों के द्वारा तथा अन्तर ग्रामीण सभाओं के द्वारा।

1979 में अध्यक्षों एवम् सचिवों के मध्य अच्छे संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक एतिहासिक सभा का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 32 गांवों के 500 से अधिक ग्रामीणों ने भाग लिया। इस सभा के सार के रूप में एक सहयोगी समिति आर्दश ग्राम विकास समीति का गठन किया गया। अपने वनों के संसाधनों की स्थिरता के लिए, ग्रामीणों ने स्थानीय लकड़ी की प्रजातियां अपने घर के पिछवाड़े में लगाई, अवरोध बांधों का निर्माण किया तथा वनों में जल संरक्षण स्थल बनाए गए। ग्रामीण जनता पंचायतों की मदद से तथा स्थानीय आधिकारिक संगठनों की मदद से अपने वन संसाधनों को बचाने के लिए सहयोग एवम् जागरूकता का पालन करती है

लघु वन उत्पाद

लघु वन उत्पाद, वन के गैर-इमारती उत्पाद हैं जैसे कि रबड़, लाख, गोंद, बांस, दवाइयां इत्यादि। गैर-इमारती वन उत्पाद ग्रामीण आर्थिक विकास के पुर्नजन्म के लिए एक महत्वपूर्ण आशा दर्शाती है गैर-इमारती वन उत्पाद ग्रामीणों लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पंचायत द्वारा इन उत्पादों का प्रयोग रोजगार के अवसर प्रदान करने में किया जा सकता है, जिसके द्वारा बेरोजगारी को समाप्त किया

जा सकता है तथा कुछ धन भी अर्जित किया जा सकता है। 'बांस' जैसे उत्पाद का प्रयोग घर बनाने में, टोकरी बनाने में, फर्नीचर बनाने में, चलने में इस्तेमाल होने वाली छड़ी बनाने आदि में किया जा सकता है जिससे कि इस सारे सामान को बड़े पैमाने पर बेच कर पंचायत धन तथा नाम कमा सकती है। अन्य उत्पाद जैसे कि लाख, दवाइयां, रबड़, गोंद आदि को बेचकर भी धन कमाया जा सकता है। केवल आवश्यकता है; प्रबंधन ही दिशा में अग्रसर होने की ताकि इन उत्पादों का प्रयोग ग्रामीण समूह के आर्थिक-सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ जैव-विभिन्नता को बचाने में किया जाए। पंचायत गैर इमारती वन उत्पादों की रक्षा तथा खर्च प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पंचायत ऐसे लोगों के समूह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है जो गैर इमारती उत्पादों की पहचान करने तथा उन्हें प्राप्त कर प्रयोग करने के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए स्थानीय लोगों की मदद ले सकती है। पंचायतें वन आवरण को संरक्षित करने के लिए संयुक्त वन प्रबंधन तथा सामाजिक वानिकी योजना आदि लागूकर सकती है। पंचायत कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चला सकती है। पंचायत ग्रामीणों की गैर-इमारती उत्पादों तथा उन से बने सामान की बिक्री में सहायता कर सकती है। इससे वन क्षेत्र के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी तथा बेरोजगारी की समस्या का हल हो जाएगा।

जल निकायों का निकर्षण एवम् साफ सफाई

जल निकायों का निकर्षण एवम् साफ सफाई संसाधन विकास के क्षेत्र में सबसे अधिक आवश्यक है! इसमें पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है; इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करना। इस कार्य को करने के लिए पंचायत ही यथायोग्य अधिकारिक संगठन है। साफ सफाई एवम् निकर्षण एक अत्यंत आवश्यक कार्य है क्योंकि ग्रामीण लोग इन निकायों के पानी का प्रयोग पीने, खेतीबाडी तथा जानवरों को पिलाने के लिए करते हैं जो जल ग्रामीणों द्वारा पीने के लिए प्रयोग में लाया जाता है वह पूर्णत: प्रदूषित होता है इसका कारण है; कि उन्हें उपचारित जल के महत्व के बारे में पता नहीं है। फलस्वरूप जल जनित बिमारियां फैल जाती हैं जोकि कभी कभी भयानक महामारी का रूप धारण कर लेती हैं। इन समस्याओं से परेशान होने वाले लोगों में सबसे पहले पंचायत होती है। इन समस्याओं के कारण एक ओर ग्रामीण जीवन अस्त वयस्त हो जाता है दूसरे जल प्रदूषण की समस्या को बढ़ावा मिलता है। लगातार किसी स्थान के जल को विभिन्न कार्यो के लिए प्रयोग करना,

उसमें दूषण कारकों को बढावा देता है जिससे जल की शुद्धता समाप्त हो जाती है उसमें सुक्ष्मजीव, कीटाणु, जीवाणु आदि वास करना शुरू कर देते हैं। पंचायत ऐसे लोगों का एक समूह बना सकती है जोकि समय समय पर क्षेत्र जल निकाय के निकर्षण एवम साफ सफाई के कार्य में सहायता कर सकते हैं समय समय पर जल निकायों के निरिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। पंचायत अपने द्वारा बनाए गए समूहों के कार्य का निरिक्षण कर सकती है। पंचायत जल निकायों के विकास के लिए सरकार से अनुदान दिला कर ग्रामीण विकास तथा उनकी साफ सफाई करा के पीने योग्य अवस्था में उपलब्ध कराने में सहायता कर सकती है !

पंचायत, सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए ग्रामीण विकास अनुदान को इस क्षेत्र में इस्तेमाल करके उन स्थानों के ग्रामीणों को साफ पीने का पानी उपलब्ध करा सकती है जहां पर नगर निगम द्वारा पानी की सप्लाई नही है। वहां की पंचायत को ग्रामीणों को साफ पेय जल आपूर्ति तथा उपचारित जल के महत्व के बारे में जागरूकता लाने के लिए सूत्रपात करना चाहिए ! जल निकायों की साफ सफाई न केवल पर्यावरण और स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान कर देगी अपितु उस क्षेत्र की सौंदर्य संवेदना को भी बढ़ावा देगी।

प्रदूषण एवम् पंचायत

जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए केन्द्रपाड़ा जिले के महाकलपाड़ा ब्लॉक में 42 गावों ने हाथ मिलाए, एक औघोगिक इकाई के खिलाफ लड़ने के लिए जिसमें से अनुपचारित अपशिष्ट तरल बाहर आ रहा था और जाकर महानदी में मिल रहा था एवम् हवा में अम्लीय वाष्प छोड़ रहा था, गांव वालों ने उस तीखे अम्लीय बादल जोकि उन्हें रोज ढ़क लेता था और जो लोग नदी में मछली पकड़ने जाते थे उनके पैरों पर जले के निशान छोड़ देता था, की और ध्यान नहीं दिया ! लेकिन जब वे नदी में मछली पकड़ने नहीं जा पा रहे थे और उनके काजू के पेड़ गिरने लगे थे तब राम नगर पंचायत ने निश्चित किया कि अब कार्य करने का समय आ गया है उन्होंने सामूहिक तौर पर Oswal Chemicals and Fertilizers Ltd. के खिलाफ याचिका दायर की कि हाल ही में लगाई गई यह इकाई प्रदूषण फैला रही है उन्होंने राज्य के प्रदूषण जांच नियंत्रण केन्द्र में शिकायत दर्ज कराई जिस पर फौरन कार्य किया गया। गांव वाले एक स्थानीय संस्था के पास गए जिसने उन की अगुवाई की। Oswal Chemicals and Fertilizers Ltd. ने इस विरोध की परवाह किए बगैर अपना कार्य जारी रखा और प्रदूषण फैलाते रहे। बच्चों में पेट की बिमारियां पनपने लगीं, अधिकतर गांव वालों के आंखों में जलन की शिकायत होने लगी। रोज मछली पकडने वालों के पैरों पर जले के निशान होने लगे। पंचायत ने एक नियमानुसार मत जारी किया कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नियमों का सख्ती से पालन किया जाए।

व्यर्थ जल संग्रहण एवम् निष्कासन

व्यर्थ जल को संग्रहित, उपचारित एवम् निष्कासित करना अत्यत आवश्यक है क्योकि यदि जल उपचारित नहीं किया जाए तो फिर भविष्य में जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, भूमि में अम्लता एवम समस्त क्षेत्र में गन्दगी एवम बिमारी का कारण बनेगा। यह कार्य पंचायत का सबसे ज्यादा जरूरी लेकिन उपेक्षित भाव है। व्यर्थ जल संग्रहण एवम् निष्कासन करना पंचायत के लिए एक बडी समस्या है-नष्ट हुई नालियां तथा बुरी अवस्था में अप्रबंधित नालियां जोकि भूमिगत जल स्त्रोतों को प्रदूषित कर रही हैं। यद्यपि पंचायती राज एक्ट में अनुबंधित किया गया है कि नालियों से व्यर्थ जल के निष्कासन के प्रभावशाली तंत्र को संचालित करना चाहिए। लेकिन यथार्थ में ऐसा कोई भी कार्य किसी भी क्षेत्र में नहीं किया जा रहा है यदि है भी तो नालियां जाम हैं या फिर संचालित नहीं हैं। सार्वजनिक नालियों एवम् सीवर तंत्र में अवरोध होने के कारण है-अनभिज्ञता एवम् पंचायत द्वारा थोड़ी सी कम प्राथमिकता दिया जाना। इस समस्या के समाधान के लिए पंचायत अपने क्षेत्र में जल निष्कासन तथा साफ सफाई की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तथा अपने क्षेत्र की स्वच्छता के लिए छोटे छोटे सीवेज तंत्र में व्यर्थ जल को निष्कासन करने के लिए सोख्ता गडढों का निर्माण करवा सकती है और छोटे छोटे उपचारण संयत्र लगवा सकती है। अपने गांव में व्यर्थ को एकत्रित करने एवम् नष्ट करने के लिए सुदृढ़ तथा सुचारू रूप से चलने वाले संयंत्र के नक्शे अथवा रूप रेखा बनाने में कार्यरत संगठनों की मदद के लिए पंचायत कार्य कर सकती है। यदि कार्य सुचारू रूप से नहीं हो रहा है तो पंचायत संयंत्र के निरिक्षण की व्यवस्था करा सकती है।

केरल में प्रदूषण नियंत्रण

केरल में किए गए अनवेष्ण से पता चला है कि पंचायती राज संस्थाएं जन स्वास्थ्य क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को लाभान्वित करने में अस्पतालों तथा औषधालयों की तुलना में अधिक कारगर सिद्ध हुई हैं। आमतौर पर किसी भी गावं की साफ सफाई पूर्ण रूप से तभी सिद्ध मानी जाती है जब व्यवस्थित तौर पर कूड़े तथा व्यर्थ को नष्ट किया जाता है एवम् लोगों में सामाजिक नागरिकता की पूर्ण भावना को जागृत किया जाता है। लोगों में इस प्रकार की सामाजिक नागरिकता की पूर्ण भावना को जागृत तभी किया जा सकता है जब उन को बताया जाए कि स्वास्थ्य शिक्षा क्या है एवम् सामाजिक नागरिकता के प्रति उन के क्या कर्तव्य हैं। सार्वजनिक नालियों एवम् सीवर तंत्र को अवरोध से के लिए सार्वजनिक तौर पर बार बार खुदाई आदि कार्यों पर रोक लगानी चाहिए ताकि सीवर लाइनों में तोड़ फोड़ और रूकावट आदि से बचाव हो सके। कुछ स्थानों पर औद्योगिक इकाईयां तीव्र गति से वातावरण में वाष्पित तत्वों को छोड़-छोड़

कर तथा बड़े पैमाने पर अज्वलनशील वाष्पों को जलाने की चेष्टा में पर्यावरण के लिए ह्रास पैदा कर रही हैं। केरल में तकरीबन 500 मिलियन प्रति लिटर औद्योगिक अपशिष्ट तरल तथा अनउपचारित मानव अपशिष्ट रोज नदियों में छोड़ा जाता है।

केरल के कुट्टानाड़ नामक, मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र में कीटनाशकों के बड़े पैमाने पर प्रयोग के कारण अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण फैल रहा है। एक फसल उगाने के लिए एक मौसम में 1000 टन कीटनाशक का प्रयोग किया जा रहा है, तोकि 46 अलग अलग समीकरणों से भरा हुआ होता है यह कीटनाशक भूमिगत जल के साथ रिस रिस कर नदियों के जल को प्रदूषित करता है। चलियार, चल्लाकुड्डी, पेरियार, पम्पा तथा कालड़ा आदि पांच बडी नदियां प्रदूषण से ग्रस्त हैं। चलियार नदी जोकि पूरे कालिकट शहर को जल प्रदान करती है सबसे ज्यादा प्रदूषण से त्रस्त है इस समस्या के समाधान के तौर पर राज्य सरकार ने ग्वालियर रेयान फेक्टरी, मैवूर को बन्द कर दिया है जिसमें से तकरीबन 548 लाख लीटर व्यर्थ प्रतिदिन नदी में मिलता था जिसके कारण नदी का रंग काला भूरा हो रहा था।

व्यर्थ जल से मछली एवम् कृषि संबंधित उत्पादन

यदि व्यर्थ जल को किसी कारण वश निष्कासित नहीं किया जा सकता है तो उसे खेती बाड़ी एवम् मछली उत्पादन के कार्य में लाया जा सकता है इसी प्रकार का कुछ कार्य क्रांतिकारी तौर पर पश्चिम बंगाल के बैरक पुर नामक स्थान पर किया जा रहा है; रहारा कृषिक्षेत्र, बैरक पुर (पश्चिम बंगाल) में साहसिक रूप से जन समुदाय द्वारा प्रेरित है जिसे पूरे देश द्वारा अपनाया गया है! इसको केन्द्रीय स्वच्छजल जल जनित उत्पादन संस्थान द्वारा लगाया गया है जोकि दूसरे हरे मछली उत्पादन क्षेत्र जैसा दिखाई देता है। रहारा में अनउपचारित जल द्वारा मछली तथा सब्जी उत्पादन किया जा रहा है। इस खेती की लागत व्यवहारिक खेती से भिन्न होती है। सभी उत्पाद उसी प्रकार से सुरक्षित एवम् स्वादिष्ट होते हैं जैसे कि परंपरागत तौर पर खेती कर के उगाए गए हों। व्यर्थ जल दसअसल पौष्टिक तत्वों एवम् मछली के भोजन से भरा होता है। जल खुम्बी, जल की विषाकता को कम कर देती है। कृषिक्षेत्र में सफलतापूर्वक बंगालियों के प्राथमिक भोजन जैसे कि रोहू, कटला, बाटा आदि स्वच्छजल के प्रकारों का उत्पादन किया जा रहा है। मछली जल में से प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों को दूर कर देती है तथा उस जल को नदी में छोडने के लिए सुरक्षित कर देती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि व्यर्थ जल का प्रयोग खाद्य पदार्थ उगाने के लिए, फूलों के लिए तथा मछली उत्पादन के लिए किया जाता है। मैला जल, प्रत्यावर्तित खाद के रूप में चावल के खेत में, दवा देने वाली फसलों जैसे कि हल्दी, अदरक, लहसुन आदि में प्रयोग किया जाता है यह एक

पारस्परिक तंत्र है जिसमें सब्जियों को उगाने से बचे उत्पाद को मछलियों के भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है।

सामूहिक आधार पर जैव वाष्प (बायोगैस) प्लांट स्थापना

जैव वा-प वायु की अनुपस्थिति में तरल व्यर्थ, खेत से बची हुई अपशिष्ट, रात की मिट्टी तथा कुछ मात्रा में औद्योगिक अपशिष्ट से बनाया जाता है। भारत में सामुदायिक आधार पर बायोगैस प्लांट की स्थापना की जा रही है तथा प्रयोग में लाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस एक महत्वपूर्ण समाधान है। यह एक पर्यावरण शुद्ध तकनीक है इसको हम मिट्टी के तेल के विकल्प के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका प्रयोग आमतौर पर गांव में जलाने के एवम खाना बनाने के काम में किया जाता है। ऐसा अनुमान है लगाया गया है कि तकरीबन 150,000 बायोगैस संयंत्र; 600,000 टन लकड़ी के बराबर की ऊर्जा की बचत करते हैं पंचायतों को भी इस प्रभावशाली तकनीक से काफी लाभ हुआ है इस काम के लिए किसी भी प्रकार की महारथ की आवश्यकता नहीं होती। बायोगैस खाना पकाने के ईंधन का सस्ता एवम् प्रभावशाली रास्ता प्रदान करती है। यह पंचायत को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के द्वारा लाभ प्रदान करती है जिसमें पंचायत कार्बनिक अपशिष्ट, रात्रि मृदा, गोबर आदि को प्रयोग में ला सकती है। जिसकी सहायता से स्वास्थय एवम् स्वच्छता को निर्वाहित कर सकें। इन पौधों को प्रयोग में ला कर बनाई गई खाद जैव खाद का काम करती है और आर्थिक तौर से भी ग्रामीणों के लिए जीविका का विकल्प है। पंचायत, तकनीकी विशेषज्ञों के स्थानीय अनुसंधान केन्द्र एवम् शैक्षणिक संस्थाओं की सहायता के साथ-साथ इस कार्य के लिए अनुदान का आश्वासन दे सकती है।

ईंधन एवम् पशु चारा विकास

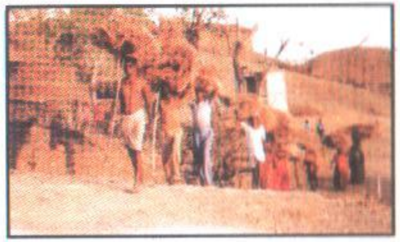

भारत में कुछ पिछड़े हुए गांव ऐसे हैं जोकि ईंधन के एवम् चारे का साधन हैं प्राकृतिक संसाधनों की मानव व्यवस्था के ही कारण तीव्र गति से इन इलाकों में वनों का ह्रास हो रहा है इस समय पंचायत के कार्यों में से एक कार्य है ईंधन एवम पशु चारे से संबंधित समस्या का समाधान किया जाए। इसलिए पंचायतें ही पहल कर रही हैं ताकि अपने क्षेत्र के वनों का संरक्षण एवम प्रबंधन कर सकें इस प्रकार की पंचायतों को वन पंचायत कहते हैं यह एक संगठन है जोकि 5 चुने हुए लोगों द्वारा चलाया जाता है जिसमें वन संरक्षण कार्यों के नियम लागू किए जाते हैं। अधिकतर

गांवों में औपचारिक नियम लागू किए गए हैं जोकि समय सीमा को निश्चित कर देते हैं जिसके अंर्तगत गांव वाले अपने पशु चारे की समय पर कटाई करें आमतौर पर 2 - 12 हफ्तों में; ताकि सूखने पर उसे प्रयोग में लाया जा सके ।

जिन क्षत्रों में साधन एवम् तकनीक उपलब्ध है उन क्षेत्रों में पंचायत आम जनता को इन साधनों तथा तकनीकों के बारे मे जानकारी दे सकती है। इससे वे स्थानीय जनता के बीच में नई तकनीक की महत्ता के बारे में जागरूकता ला सकते हैं जैसे कि मिट्टी के तेल तथा जलाने की लकड़ी की तुलना में बायोगैस अथवा एल. पी. जी. एक प्रभावशाली विकल्प है इस प्रकार की जानकारी की सहायता से लोगों की वे बेहतर तरीके से अपने आसपास के संसाधनों को प्रयोग में ला सकते हैं जैसे कि वे तकनीकी विधियों का प्रयोग करके बेहतरीन चुल्हे सौर कुक्कर आदि का प्रयोग कर सकते हैं ताकि उनका पर्यावरण प्रदूषण रहित रहे तथा उनके क्षेत्र में किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधि समस्या न आ पाए। पंचायत पशु चारे की आपूर्ति के लिए नई तकनीक का प्रबंध कर सकती है ताकि अति चराई जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल सके।

गैर परम्परागत ऊर्जा साधनों का विकास

भोजन, कपड़ा और आश्रय के बाद ऊर्जा सामाजिक प्राणियों की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है जो किसी भी देश एवम् समाज के आर्थिक उन्नति एवम् विकास की आवश्यक आधारस्तम्भ सुविधाओं में से आधारभूत है।

यद्यपि ग्रामीण भारत में कुछ ऊर्जा संवहन का 20 प्रतिशत ही प्रयोग में लाया जाता है लेकिन फिर भी परम्परागत ऊर्जा साधान जो ऊर्जा के लिए प्रयोग में लाए जाते है वे अनन्त नहीं है और एक दिन व भी खत्म हो जाएंगे। इसी कारण अब हमारा ध्यान गैर परम्परागत ऊर्जा ससांधनो की तरफ आर्कषित हो रहा है ताकि हम अपने भविष्य की ऊर्जा मांग को पूरा कर सके तथा जो परम्परागत स्त्रोत मौजूद हैं उनको संरक्षित कर सकें। इस प्रकार के गैर परम्परागत साधनों को प्रयोग करके हम अपने पर्यावरण को प्रदूषण से बचा कर रख सकते हैं। कुछ गैर परम्परागत ऊर्जा साधन जिनका प्रयोग पंचायत अपने गावों में कर रही है, वे हैं वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूताप ऊर्जा, बायो गैस, सीठी देने वाले पौधे आदि। अभी भी कुछ ऐसे दूरवर्ती गांव हैं जिनमें अभी तक बिजली नहीं पहुचाई जा सकती है शायद दूरी ज्यादा होने के कारण या फिर कुछ अन्य कारणों से। इन गावों में गैर परम्परागत ऊर्जा साधनों जैसे विकल्प बहुतायत में उपलब्ध होते हैं और पंचायत की सहायता लेकर उनका प्रयोग प्रभावशाली ढ़ंग से किया जा सकता है पंचायत भी इन गैर परम्परागत साधनों को प्रयोग करके लाभान्वित हो सकती है, क्योंकि ये साधन बिना किसी कीमत के उपलब्ध हो जाते हैं और ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। इसलिए जितना भी प्रयोग

करो नष्ट नहीं होगें । पंचायत को एक लाभ और हो सकता है ये सारे संसाधन गैर परम्परागत हैं इसलिए ये प्रदूषण रहित हैं जिससे गांव के पर्यावरण को उन्नत होने में मदद मिलेगी। इस प्रकार की तकनीक उन गावों की पंचायत के लिए लाभकारी है, जो कि दूरवर्ती इलाकों में स्थित हैं और जिनको ऊर्जा बंटवारे तथा उत्सर्जन के केन्द्रीकृत प्रबंधों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। गैर परम्परागत ऊर्जा साधनों को प्रयोग उस क्षेत्र के आर्थिक विकास में मदद करता है। कुछ ऊर्जा उपस्कर तकनीकों का प्रयोग करके अपशिष्ट प्रबंधन जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है इसके लिए हम बायोगैस तथा सीठी (Baggase) देने वाले पौधे, कृषि अपशिष्ट तथा कार्बनिक अपशिष्ट जो भी उस क्षेत्र में आसानी से मिल सकते हैं आदि का प्रयोग कर सकते हैं और साफसफाई की व्यवस्था को सुधारने में तथा स्वास्थ्य समास्याओं को सुलाझाने में सहायता मिल सकती है ।

भारत सरकार कई वर्षो से इस क्षेत्र कार्य करने के लिए अग्रसर है उन्होंने गैरपरम्परागत ऊर्जा संसाधन विकास-मंत्रालय की स्थापना की है, जिन्होंने प्रत्येक राज्य में ऊर्जा विकास संस्थाओं की स्थापना की है जोकि ऊर्जा संरक्षण की मुख्य श्रृंखला में कार्यरत हैं ताकि पुर्नीकरण पद्धति का विकास किया जा सके । राष्ट्रीय पुर्नीकरण ऊर्जा विकास संस्था कई वर्षों से (उचित योजनाओं को) सहयोग तथा आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।

वनारोपण एवम् पारिस्थितिक विकास

पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना एवम् सशक्तिकरण ने विभिन्न राज्यो में गहन पर्यावरण अभियान को बढ़ावा दिया है। जातियों ने अपने संसाधन अधिकारो को वापस प्राप्त करना आरम्भ कर दिया तथा संयुक्त वन प्रंबधन, व्यर्थ भूमि विकास, जल संगहग्र प्रबंधन, व्यर्थ भूमि विकास, जल संग्रहण प्रंबधन आदि पारिस्थितिक विकास कार्यक्र .. में भाग लेना आरम्भ कर दिया। एक मिले जुले प्रतिवचन के रुप में नष्ट हो रहे पारिस्थितिक तंत्र ने देश के विभिन्न हिस्सों मे पुर्नविकास एवम् पुर्नजन्म के चिन्ह दिखाना आरंभ कर दिए हैं। पंचायत ने सूक्ष्म उपाय, प्रबंधन अमल में लाना, तथा पर्यावरण कार्यक्रमों का निर्देशन आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जन-केन्द्रित नियमावालियों को सूत्रधारित किया है तथा क्षमता बढाने वाली तकनीकी शिक्षा पंचायती राज संस्थाओं में अंशित की जा रही है ताकि उन के संयोजन को दृढता प्रदान की जा सके। पंचायती राज संस्थाओं ने वनारोपण के क्षेत्र में विचाराधीन भूमिका निभाई है तथा वे आमतौर पर लाभान्वित होते हैं इस प्रकार की योजनाओं सें वनरोपण तथा पारिस्थितक विकास कार्य पंचायतों को प्राकृतिक संसाधनो को बेहतर तरीकें से प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करतें हैं। इन सभी कार्यो को लागू करने में पंचायते ऐसी संस्था है जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोगों

में भागीदारी की भावना जागृति करने में वे स्थानीय लोगो का समूह बना सकते हैं जो कि विकास कार्य में मदद कर सके कार्यक्रम लागू करने में, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तथा निम्न बातों का ध्यान रख सकते हैं। वृक्षों की प्रजातियों का वर्गीकरण जो कि उस क्षेत्र में लगायी जा सकती हैं। भूमि के वि-ाय में विस्तृत जानकारी जिस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आरम्भ किया जाएगा। परिस्थितिक विकास, वृक्षारोपण, नवरोपित तथा पहले से उगे हुए वृक्षों की देखभाल, रात्रि गश्त, भूमि संरक्षण, उस क्षेत्र में उगी हुई प्रजातियों का संरक्षण एवं सुरक्षा आदि।

वन प्रबंधन के क्षेत्र में वन पंचायत लोकतांत्रिक रूप से ग्रामीण स्तर पर चुनी गई संस्था है जो कि उत्तर प्रदेश में वनों के प्रबंधन के लिए बनाई गई है। यह संस्था जिम्मेदार है - चराई प्रबंधन करने के लिए, जलावन की लकड़ी का प्रबंधन, चारा, इमारती लकडी तथा वन समुदायों की सुरक्षा के लिए। वन पंचायत गांव के 1/3 लोगों को इकट्ठा करके बनाई जाती है। ग्रामीण स्तर पर, वन पंचायत प्रबंधन के लिए कार्य करती हैं विकास कार्यक्रम तय करने तथ तकनीकी सहायता के लिए वन पंचायत वन विभाग के साथ गठजोड़ में रहती है। वन पंचायत जैसी संस्थाओं की सहायता से वन विभाग तथा राज्य वन मंत्रालय को वन प्रबंधन की जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता मिलती है।

बहुत सारे राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना से पर्यावरण आंदोलन में आंतरिक स्तर पर तेजी आई है संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम,जल संग्रहण, व्यर्थ भूमि प्रबंधन आदि की सहायता से समुदायों ने अपने संसाधन अधिकार तथा विकास कार्यक्रमों को दुबारा अपनाना शुरू कर दिया है एक मिलेजुले उत्तर के रूप में न-ट हुए जैव-मडण्ल ने फिर से जीवन के चिन्ह दर्शाने शुरू कर दिए। सूक्ष्म योजनाओं को लागू करने में, प्रबंधन में तथा पर्यावरण कार्यक्रम निरिक्षण में पंचायतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जन केन्द्रित नियमावली लागू की गई तथा क्षमता स्थापना के लिए प्रशिक्षण दिए जाने लगे ताकि पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी को महत्व दिया जा सके।

पर्यावरण जागृति निर्माण

पंचायत के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य है पर्यावरण जागरूकता निर्माण। पंचायत वो संगठन है जोकि विकास तथा स्वच्छता के प्रबंध एवम् आवलम्बन के लिए जिम्मेदार होती है। अब पंचायतों ने सशक्तिकरण के साथ-साथ भीतरी एवम् गहरी जागरूकता को बढावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंचायत संगठनों सही शब्दों में वो संस्थान है जोकि स्थानीय लोगों में जागरूकता ला सकती है, क्योंकि पंचायत तथा ग्रामीण संस्थाएं ऐसी शक्ति हैं जिनका वहां रहने वाले लोगों से सीधा संबंध है

तथा वे समस्याओं को विस्तार से पूछ व समझ सकते हैं। पंचायत के पास इतनी क्षमता है कि ग्रामीणों को अपना अनुसरण करवा सकती है तथा स्थानीय लोगों में आत्मविश्वास को बढ़ावा दे सकते हैं। पंचायत प्रधानतापूर्वक विभिन्न सामुदायिक जीवन से जुडी गंभीर जैसे कि निर्णय लेने संबधित, आपसी मतभेदों को सुलझाने में भूमिका अदा करती है। पंचायत ऐसा स्थान है, जहां पर स्थानीय लोंगों में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित भावनाओं तथा भागीदारी की भावनाओं को उपदेशित किया जा सकता है। पंचायत, पर्यावरण की गिरती हुई दशा को सुधरने तथा पर्यावरण को ह्रास से बचाने के लिए संगठनात्मक तौर पर सहायता प्रदान कर सकती है। पर्यावरण की परिस्थितियां जैसे कि - जल संरक्षण, वृक्षारोपण, जैव खाद, बायो-गैस संयंत्र, गैर पारम्परिक ऊर्जा संसाधनों आदि को उन्नत करने में पंचायत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पंचायत ऐसे लोगों का समूह बना सकती है जोकि पर्यावरण की परिस्थितियों के उत्थान में लिए कार्यरत् हैं। वे ऐसे साधन प्रदान करने में मदद कर सकती है, जिनका ग्रामीण विकास से सीधा संबंध है। इसके साथ-साथ पंचायत पर्यावरण जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित कर सकती हैं।

❑❑❑

निष्कर्ष

पंचायती राज भारत की प्राचीन परम्परा है। वेदों के काल से ही ग्रामीण विकास के क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाएं कार्यरत रही हैं। ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन लागू करने की व्यवस्था को पंचायती राज के संदर्भ में माना गया है।

आजादी के पूर्व पंचायतीराज व्यवस्था को प्रबल अधिकार प्राप्त नहीं थे किन्तु आजादी के बाद क्रांतिकारी तौर पर स्थानीय स्वशासन की दिशा में बदलाव आया। बलवंत राय मेहता कमेटी के शोधकार्यों में पंचायती राज की आवश्यकता को प्रकाश में लाने में सहायता की है। ''पंचायत'' एक ऐसी संस्था है जो ग्रामीण स्तर पर स्थानीय निवासियों एवम् केन्द्र व राज्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी के रुप में कार्य करती है।

अस्सी के दशक में संविधान संशोधन की दिशा में कार्य किए गए। 1992 में संविधान में पंचायती राज अधिनियम में 73वां संशोधन पारित किया गया जो कि 20 अप्रैल 1993 में लागू हुआ जिसमें कि पंचायत के अधिकारों तथा कर्त्तव्यों को संविधान की ग्यांरहवी सूची में शामिल किया गया। उन उल्लेखित कर्त्तव्यों में त्रीस्तरीय व्यवस्था, पंचायत में स्थानीय लोगों की भागीदारी, कमजोर वर्गों के लिए भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी आदि बातों पर प्रबल ध्यान दिया गया। संविधान के 73वें संशोधन में पंचायत के कार्यों की सूचि भी बनाई गई। जिनमें से कुछ कार्य पर्यावरण से संबधित हैं यद्यपि उन सब कार्यों का पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। किन्तु परोक्ष रूप से पंचायत पर्यावरण विकास, पर्यावरण संरक्षण एवम् पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में क्रांतिकारी रूप में कार्य कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जैव खाद उत्पादन, जल प्रबंधन, वन संरक्षण, वन विकास, सामाजिक वानिकी, लघु वन उत्पाद प्रबंधन, वन संरक्षण, वन विकास, सामाजिक वानिकी, लघु वन उत्पाद प्रबंधन/विकास, ईंधन एवम् चारे का विकास, पौर परम्परागत ऊर्जा संसाधनों का विकास, वन रोपण, बायोगैस संयत्र स्थापना, व्यर्थ जल निष्कासन, पर्यावरण जागरण आदि कुछ आवश्यक कार्य हैं जिनमें पंचायत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इस सभी क्षेत्रों में कार्य करके निश्चित तौर पर परोक्ष रूप से पर्यावरण के प्रबंधन एवम् विकास में सहायता मिलती है। प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, पर्यावरण प्रदूषण से बचाव, मृदा अपरदन से बचाव, बाढ़, बाढ़ से बचाव आदि में सहायता

मिलती है। देश के विभिन्न भागों में कार्यकारी तौर पर पंचायत कार्य करने में लगी हुई है। केरल, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों में पंचायत ने पर्यावरण प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इस प्रकार के प्रबंधन कार्य को क्रियान्वित करने के लिए पंचायत ने ग्रामीणों के मध्य में जन जागृति अभियान, प्रशिक्षण शिविर, सामूहिक भागीदारी आदि के द्वारा ग्रामों के रूप को बदलने में सहायता की है। प्रबंधन तथा विकास कार्य को लागू तथा फलीभूत करने में पंचायत उन गैर सरकारी संस्थाओं की भी सहायता ले सकती है जो कि इस दिशा में अग्रसर है।

❒❒❒